



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 225 राँची, शुक्रवार,

29 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-134/2016-5466 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि अशोक कुमार साह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-668/03, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गुमला के विरुद्ध निबंधन कार्य को बाधित करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर मनमानी करते हुए अधीनस्थ कर्मियों को दबाव डालकर डराना एवं धमकाकर कार्य कराने, बिना विभागीय आदेश के अंचलाधिकारियों को बकास्त, मझियस, जिरात एवं बेटखेता किस्म के जमीन का अवैध जमाबंदी मानते हुए चिन्हित कर नोटिस निर्गत कराने का निदेश देने, मनमानीपूर्ण/ हठधर्मिता एवं सुखा से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान के वितरण में अभिरुचि नहीं लेने तथा लापरवाही बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-62 दिनांक 22.03.2017 द्वारा प्राप्त प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री साह के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री साह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री साह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री साह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHOK KUMAR SAH BHR/BAS/2931	श्री अशोक कुमार साह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-668/03, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
